संख्या-09/2018/469/29-5-2018-30-(1)/15

प्रेषक,

अभिषेक सिंह-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 16 मई, 2018

विषय:-रबी विपणन वर्ष 2018-19 हेतु 20,000 गांठ जूट बोरों के क्रय के लिये अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2204/अ0आ0(वि0)/803-बोरा-आर0एम0एस0 /2018-19 दिनांक 27-04-2018 एवं पत्र संख्या-2333/अ0आ0(वि0)/803-बोरा/आर0 एम0एस0/2018-19 दिनांक 07-05-2018 के क्रम में रबी विपणन वर्ष 2018-19 में जूट कमिश्नर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से 20000.00 (बीस हजार) मात्र गांठ जूट बोरों (50 किलो ग्राम की भर्ती) को नियमानुसार क्रय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-398/29-5-2018-30(1)/2015 दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 08-05-2018 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय 20000.00 (बीस हजार) मात्र गांठ जूट बोरों के नियमानुसार क्रय किये जाने के प्रयोजनार्थ जूट कमिश्नर, कोलकाता को भुगतान करने के लिये परिवहन व्यय सहित रू0 24,348.65 प्रति गांठ निर्धारित दर से धनराशि रू0 48,69,73,000.00(रू0 अडतालीस करोड़ उन्हत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र) के अग्रिम आहरण की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)उपरोक्तांकित अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 ,शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 एवं संख्या-12/2017 /ए-1-873/दस -2017-15/1/(1)/69 दिनांक 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2)धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा।

(3)वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा। इण्डेन्ट आदि की कार्यवाही आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(4) वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्त तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

(5)वित्त नियंत्रक द्वारा आंतरिक सम्प्रेक्षा रिपोर्ट वित्त विभाग के अवलोकनार्थ तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

(6) आवश्यकतानुसार बोरों की संख्या एवं दरों का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा

2- कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार समुचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चत कराते हुये शासन को भी अवगत कराया जाय।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक -4408 खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101 अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43 सामग्री और सम्पूर्ति के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-476/दस-2018, दिनांक 11 मई, 2018 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिषेक सिंह-।।)
विशेष सचिव।

संख्या-09/2018/469(1)/29-5-2018-30-(1)/15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव भारत सरकार, उपभोक्त मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली
2-महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय,5 संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
3-महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4-जूट आयुक्त, भारत सरकार,वस्त्र मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स तृतीय एम0एस0ओ0 भवन सेक्टर-1 साल्टलेक सिटी कोलकाता।
5-अपर आयुक्त, (विपणन) खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6-वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7-मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

http://srasandesh.up.nic.in